जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./15/डी– 420 दिनांकः– 3/6/15

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 116वीं बैठक दिनांकः 25.05.15 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		116:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 115वीं बैठक दिनांक 31.03.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 108वीं से 115वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 115वीं बैठक दिनांक 31.03.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 108 से 115 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा सभी उपायुक्तों को अविलम्ब अनुपालना करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) सम्बन्धित अधिकारियों से पालना रिपोर्ट प्राप्त कर पेंडिंग प्रकरणों की स्थिति दिनांक 20.06.15 तक पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
2.	7	116:2	श्री राजेश सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह को लॉयन्सलेन (गुलाबबाडी गृ.नि.स.स.), सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर के भूखण्ड संख्या 166 के साथ लगती हुई भूमि 36.67 वर्गगज भू–पट्टी का आवंटन करने बाबत।	श्री राजेश सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह द्वारा लॉयन्सलेन (गुलाबबाडी गृ.नि.स.स.), सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर के भूखण्ड संख्या 166 क्षेत्रफल 344.66 व.ग. के साथ लगती हुई भूमि 36.67 वर्गगज भू–पट्टी का आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त ने बढे हुये क्षेत्रफल 36.67 व.ग. को आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल 36.67 व.ग. को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के तहत आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	7	116:3	मैसर्स कृष्णा कुंज डवलपर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री केशव दास अग्रवाल को निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना कृष्णा कुंज में नर्सरी स्कूल हेतु 1241.79 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 ने मैसर्स कृष्णा कुंज डवलपर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री केशव दास अग्रवाल को निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना कृष्णा कुंज में नर्सरी स्कूल हेतु 1241.79 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। योजना की आवासीय आरक्षित दर 15000/– प्रति वर्गमीटर है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 15000/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	7	116:4	मै. मंगलम बिल्डर्स प्रा.लि. जयपुर द्वारा उनकी निजी खातेदारी की योजना वैशाली नगर स्टेट–ए ब्लॉक ए सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि 3777.85 वर्गगज एवं 3831.96 वर्गगज भूमि डी.बी. हॉस्पिटल्स प्रा. लि. के नाम आवंटन हेतु।	एलपीसी की बैठक दिनांक 31.03.15 में राज्य सरकार को सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में उपायुक्त जोन–7 द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 20.04.15 को पत्र लिखा जाकर मार्गदर्शन चाहा गया। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 24.04.15 में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.05.12 के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण

				की योजना **वैशाली स्टेट**–ए ब्लॉक ए के सुविधा क्षेत्र की भूमि 3777.85 **वर्गगज** एवं 1813.06 वर्गगज को राज्य सरकार के **आदेश** दिनांक 03.05.12 के अन्तर्गत योजना की आवासीय **आरक्षित** दर की **50** प्रतिशत पर इस शर्त के साथ आवंटन **करने** का निर्णय लिया गया कि विकासकर्त्ता **को** आवंटन तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य **प्रारम्भ** करना होगा।
5.	8	116:5	सोनू मोनू बिल्डकोन प्रा.लि. की निजी खातेदारी की आवासीय योजना वास्तु नगर फेज–5 में सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 1127.40 वर्गमीटर भूमि प्राईमरी स्कूल हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–**8 ने सोनू** मोनू **बिल्डकोन** प्रा.लि. की निजी खातेदारी की **आवासीय** योजना **वास्तु** नगर फेज–5 में सुविधा क्षेत्र **की भूमि में** से **1127.40** वर्गमीटर भूमि प्राईमरी स्कूल हेतु **आवंटन करने** हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान **टाउनशिप** पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय **विकास** विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित **टाउनशिप** योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय **आरक्षित दर पर आवंटन** करने का प्रावधान है। **समिति** द्वारा **विचार** विमर्श **कर योजना** की आवासीय आरक्षित दर **12000/–** प्रति **वर्गमीटर** पर आवंटन करने का निर्णय **लिया गया।**
6.	11	116:6	बगरू में न्यायालय हेतु भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	समिति द्वारा **विचार** विमर्श कर **प्रकरण** को स्थगित किया गया।
7.	11	116:7	श्री मनवीर सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री जगदीश सिंह राठौड को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–166 के विनिमय में अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री मनवीर **सिंह राठौड** पुत्र स्व. श्री जगदीश सिंह राठौड को अनुपम **विहार** आवासीय **योजना** में भूखण्ड संख्या डी–166 क्षेत्रफल **90** वर्गमीटर 9 **मीटर** सडक पर आवंटित किया गया था। **उक्त** भूखण्ड का मौके पर 43.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढा **हुआ** पाया गया। जिसको प्रार्थी लेने में असमर्थ है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या डी–166 को **निरस्त कर** योजना में अन्य भूखण्ड प्रस्तावित किया है। **उपायुक्त** की रिपोर्ट के अनुसार योजना के ब्लॉक डी में **समान** क्षेत्रफल व **रोड** का भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। **उपायुक्त ने** भूखण्ड संख्या डी–166 के स्थान पर योजना के **ब्लॉक सी** में समान माप व रोड चौडाई पर स्थित भूखण्ड **संख्या** सी–101, सी–129, सी–145, सी–524 में **से एक** भूखण्ड **विनिमय** हेतु प्रस्तावित किया है। समिति **द्वारा विचार** विमर्श **कर** यह निर्णय लिया गया कि चूंकि डी–**ब्लॉक** में भूखण्ड **उपलब्ध** नहीं होना बताया है। अतः सी–**ब्लॉक में** समान **श्रेणी** के नॉन कॉर्नर रिक्त भूखण्डों में **से एक भूखण्ड** लॉटरी द्वारा विनिमय किया जावे।
8.	11	116:8	निजी खातेदारी की आवासीय योजना वृन्दावन सिटी–विस्तार में आवेदक श्री लक्ष्मण चौधरी का पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 82 के बढे हुये क्षेत्रफल 74.91 वर्गगज को आवंटन किये जाने हेतु।	निजी **खातेदारी** की आवासीय योजना वृन्दावन सिटी–विस्तार **के अनुमोदित मानचित्र** में भूखण्ड संख्या 82 का क्षेत्रफल **103.09** वर्गगज **है** जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त **भूखण्ड** का क्षेत्रफल 177.91 वर्गगज है जो कि अनुमोदित **क्षेत्रफल से** 74.82 वर्गगज अधिक है। उक्त भूखण्ड श्री **लक्ष्मण** चौधरी को आवंटित है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये **क्षेत्रफल को** आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया **है। समिति** द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल 74.82 **वर्गगज** को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) **नियम** 1974 के **नियम** 23 के तहत योजना की आवासीय **आरक्षित** दर की **दुगुनी** दर पर आवंटन करने का **निर्णय लिया** गया।
9.	13	116:9	ट्रांसपोर्ट नगर योजना की भूमि पर कब्जा कर निवास कर रहे श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री कालूराम गुर्जर को पुनर्वास नीति	उपायुक्त जोन–**13** ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना की भूमि पर कब्जा **कर निवास** कर रहे श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री कालूराम **गुर्जर** को पुनर्वास नीति के तहत ट्रांसपोर्ट नगर योजना **में** खातेदारों हेतु विकसित भूमि में से

प्रति० (पी.सी.) जयपुर

			के तहत ट्रांसपोर्ट नगर योजना में खातेदारों हेतु विकसित भूमि में से भूखण्ड संख्या ई–47 क्षेत्रफल 90.42 वर्गमीटर आवंटन करने बाबत।	भूखण्ड संख्या ई–47 क्षेत्रफल 90.42 वर्गमीटर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर चरागाह भूमि पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे अतिक्रमी श्री सीताराम गुर्जर को चरागाह भूमि का कब्जा खाली कराकर, ट्रांसपोर्ट नगर योजना की भूखण्ड संख्या ई–46 व ई–47, ई–83 से ई–91 क्षेत्रफल प्रत्येक 90 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन पत्र जारी करने के समय की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	13	116:10	श्री महेन्द्र सिंह मलिक पुत्र श्री ईश्वर सिंह को आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर से अधिक भूमि का होने के कारण अधिक क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर के आवंटन के संबंध में।	कल्पना नगर योजना में काफी भूखण्ड योजना सीमा से प्रभावित हो जाने के कारण प्रभावित भूखण्ड धारियों को योजना में रिक्त भूखण्डों का विनिमय लॉटरी के माध्यम से किया गया। परन्तु 275 वर्गमीटर के ओर रिक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण श्री महेन्द्र सिंह मलिक को भूखण्ड संख्या सी–31 क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर का आवंटन किया गया है। उपायुक्त ने 275 वर्गमीटर से अधिक 40 वर्गमीटर क्षेत्रफल आवंटन करने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने भूखण्ड संख्या सी–31 क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर प्रस्तावित किया है। उपायुक्त ने बताया कि 275 वर्गमीटर के और रिक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। अतः भूखण्ड संख्या सी–31 क्षेत्रफल 315 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया। गत एलपीसी की बैठक दिनांक 31.03.15 में श्रीमती कुसुमलता के समान प्रकृति के प्रकरण पर निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार से दर के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार इस प्रकरण में भी कार्यवाही की जावे।
11.	13	116:11	मैसर्स मयंक रोड लाईन्स, प्रो. श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल को भूखण्ड संख्या ए–4/372 ट्रांसपोर्ट नगर योजना के स्थान पर योजना में अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटन किये जाने के संबंध में।	मैसर्स मयंक रोड लाईन्स, प्रो. श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–4/372 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया था। परन्तु उक्त भूखण्ड योजना सीमा से प्रभावित होने के कारण प्रार्थी को भूखण्ड संख्या ए–4/372 के स्थान पर योजना में समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड में से एक भूखण्ड विनिमय करने हेतु उपायुक्त ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–4/372 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर के स्थान पर योजना में समान श्रेणी के उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
12.	14	116:12	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को जविप्रा की आवासीय योजना अभिनव विहार व हरित विहार में ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का आवंटन करने बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ने जविप्रा की आवासीय योजना अभिनव विहार व हरित विहार में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–14 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अभिनव विहार योजना के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 1 से 11 रूपये 6202/– प्रति वर्गमीटर व हरित विहार योजना के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 12 व 13 रूपये 7086/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।
13.	14	116:[illegible]	निजी खातेदारी योजना कपिश	श्रीमती निर्मल यादव पत्नी अश्वनी कुमार यादव एवं

आयुक्त (एल.पी.सी.) विकास प्राधिकरण, जयपुर

			विहार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 472.66 व.ग. भूमि का कम्यूनिटी सेन्टर (सामुदायिक केन्द्र) प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत।	अजय कुमार यादव पुत्र वेदप्रकाश यादव ने निजी खातेदारी योजना कपिश विहार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 472.66 व.ग. भूमि का कम्यूनिटी सेन्टर (सामुदायिक केन्द्र) प्रयोजनार्थ आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–14 ने आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 4500/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	14	116:14	निजी खातेदारी योजना शिव विहार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 12926.44 व.ग. में से 8926.44 व.ग. भूमि का विद्यालय प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत।	ओम शिव प्रोपर्टीज प्रा0लि0 जरिये निदेशक फूलचंद चौधरी ने निजी खातेदारी योजना शिव विहार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 12926.44 व.ग. में से 8926.44 व.ग. भूमि का विद्यालय प्रयोजनार्थ आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–14 ने आावंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 4500/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	14ए	116:15	ग्राम गोरधनपुरा तह. चाकसू में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना गंगा एनक्लेव–I के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3292.34 वर्गगज (एण्ड यूज प्ले स्कूल) भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने के संबंध में।	श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी द्वारा ग्राम गोरधनपुरा तह. चाकसू में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना गंगा एनक्लेव–I के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3292.34 वर्गगज भूमि को प्ले स्कूल हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। बीपीसी (एलपी) द्वारा भूमि का एण्ड यूज निर्धारित किया जा चुका है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 4800/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
16.	14ए	116:16	ग्राम गोरधनपुरा तह. चाकसू में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना गंगा एनक्लेव के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3255.39 वर्गगज (एण्ड यूज डिस्पेन्सरी) तथा क्षेत्रफल 1380.93 वर्गगज (एण्ड यूज स्कूल) भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने के संबंध में।	श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी द्वारा ग्राम गोरधनपुरा तह. चाकसू में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना गंगा एनक्लेव के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3255.39 वर्गगज डिस्पेन्सरी हेतु एवं 1380.93 वर्गगज स्कूल हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। बीपीसी (एलपी) द्वारा भूमि का एण्ड यूज निर्धारित किया जा चुका है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार

उपायुक्त (एलपी) जयपुर विकास प्राधिकरण

				विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 4200/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
17.	14ए	116:17	ग्राम गोरधनपुरा तह. चाकसू में रिंग रोड परियोजना में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोरधनपुरा को शिफ्ट कर ग्राम गोरधनपुरा के खसरा नं. 65 रकबा 8.24 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 750 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरधनपुरा की भूमि रिंग रोड परियोजना में आ जाने के कारण एलपीसी की बैठक दिनांक 31.03.15 में खसरा नं. 92 क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। प्रधानाध्यापक की मांग पर उक्त भूमि को उपयुक्त नहीं पाये जाने पर खसरा नं. 65 में आवंटन हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विद्यालय को ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 92 के स्थान पर खसरा नं. 65 में से 750 वर्गमीटर भूमि विद्यालय की रिंग रोड में आई भूमि के बदले आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
18.	15	116:18	विकासकर्त्ता आशियाना हाउसिंग लि. की निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना में सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन के संबंध में।	निजी खातेदार आशियाना हाउसिंग लि0 ने ग्राम झांई तहसील सांगानेर के खसरा नं. 432 से 440, 434/735, 437/736, 453, 454, 454/1, 454/2, 478 से 480, 484, 485 क्षेत्रफल 51213.52 वर्गमीटर का आवासीय ग्रुप हाउसिंग हेतु पट्टा दिनांक 24.10.13 को जारी किया जा चुका है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 2695.48 वर्गमीटर का प्ले स्कूल एवं स्पोर्ट सेन्टर हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–15 ने आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 108वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एकल पट्टे के प्रकरण में जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर की दुगुनी दर अर्थात 5600/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
19.	15	116:19	विकासकर्त्ता श्री संदीप छाबडा, श्री संजय छाबडा व श्रीमती नमिता छाबडा की निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना मोतीसंस टाउनशिप में सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–15 ने श्री संदीप छाबडा, श्री संजय छाबडा व श्रीमती नमिता छाबडा की निजी खातेदारी योजना मोतीसंस टाउनशिप के सुविधा क्षेत्र 1377.35 वर्गमीटर में बैंक (वित्तीय संस्था) एवं क्षेत्रफल 1826.13 वर्गमीटर में क्लब हाउस एवं 4639.24 वर्गमीटर में सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि योजना की आवासीय आरक्षित दर 8000/– प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 8000/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
20.	15	116:20	विकासकर्त्ता मैसर्स गुप्ता केमीकल्स प्रा.लि. की निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना में सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन के संबंध में।	मैसर्स गुप्ता केमीकल्स प्रा.लि. ने ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 466 से 469, 624, 624 से 646, 679 से 686, 630/1109, 632/1108 क्षेत्रफल 74769.13 वर्गमीटर का आवासीय ग्रुप हाउसिंग हेतु पट्टा दिनांक 24.12.13 को जारी किया जा चुका है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 3744 वर्गमीटर का सामुदायिक केन्द्र (रेस्टोरेंट सहित) हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

				विमर्श कर योजना की **आवासीय** आरक्षित दर 4200/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
17.	14ए	116:17	ग्राम गोरधनपुरा तह. चाकसू में रिंग रोड परियोजना में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोरधनपुरा को शिफ्ट कर ग्राम गोरधनपुरा के खसरा नं. 65 रकबा 8.24 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 750 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरधनपुरा की भूमि रिंग रोड परियोजना में आ जाने के कारण एलपीसी की बैठक दिनांक 31.03.15 में खसरा नं. 92 क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। प्रधानाध्यापक की मांग पर उक्त भूमि को उपयुक्त नहीं पाये जाने पर खसरा नं. 65 में आवंटन हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विद्यालय को ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 92 के स्थान पर खसरा नं. 65 में से 750 वर्गमीटर भूमि विद्यालय की रिंग रोड में आई भूमि के बदले आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
18.	15	116:18	विकासकर्त्ता आशियाना हाउसिंग लि. की निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना में सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन के संबंध में।	निजी खातेदार आशियाना हाउसिंग लि0 ने ग्राम झांई तहसील सांगानेर के खसरा नं. 432 से 440, 434/735, 437/736, 453, 454, 454/1, 454/2, 476 से 480, 484, 485 क्षेत्रफल 51213.52 वर्गमीटर का आवासीय ग्रुप हाउसिंग हेतु पट्टा दिनांक 24.10.13 को जारी किया जा चुका है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 2695.48 वर्गमीटर का प्ले स्कूल एवं स्पोर्ट सेन्टर हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–15 ने आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 108वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एकल पट्टे के प्रकरण में जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर की दुगुनी दर अर्थात 5600/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
19.	15	116:19	विकासकर्त्ता श्री संदीप छाबडा, श्री संजय छाबडा व श्रीमती नमिता छाबडा की निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना मोतीसंस टाउनशिप में सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–15 ने श्री संदीप छाबडा, श्री संजय छाबडा व श्रीमती नमिता छाबडा की निजी खातेदारी योजना मोतीसंस टाउनशिप के सुविधा क्षेत्र 1377.35 वर्गमीटर में बैंक (वित्तीय संस्था) एवं क्षेत्रफल 1826.13 वर्गमीटर में क्लब हाउस एवं 4639.24 वर्गमीटर में सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि योजना की आवासीय आरक्षित दर 8000/– पति वर्गमीटर निर्धारित है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 8000/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
20.	15	116:20	विकासकर्त्ता मैसर्स गुप्ता केमीकल्स प्रा.लि. की निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना में सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन के संबंध में।	मैसर्स गुप्ता केमीकल्स प्रा.लि. ने ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 466 से 469, 624, 624 से 646, 679 से 686, 630/1109, 632/1108 क्षेत्रफल 74769.13 वर्गमीटर का आवासीय ग्रुप हाउसिंग हेतु पट्टा दिनांक 24.12.13 को जारी किया जा चुका है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 3744 वर्गमीटर का सामुदायिक केन्द्र (रेस्टोरेंट सहित) हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया

				है। उपायुक्त जोन–15 ने आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 108वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एकल पट्टे के प्रकरण में जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर की दुगुनी दर अर्थात 5600/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
21.	8	116:21	निजी खातेदारी की आवासीय योजना कृष्णा सरोवर में सुविधा क्षेत्र की भूमि 1269.44 वर्गगज (1061.40 वर्गमीटर) भूमि हॉस्पिटल व 2032.55 वर्गगज (1699.45 वर्गमीटर) भूमि स्कूल हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–8 ने श्री कृष्णा, बालू पुत्रान श्री हरिया बगैरहा, जरिये मु.आम भगवान सहाय चौधरी व मोहन सिंघानियां निवासी ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर, जयपुर को निजी खातेदारी की आवासीय योजना कृष्णा सरोवर में सुविधा क्षेत्र की भूमि 1269.44 वर्गगज (1061.40 वर्गमीटर) भूमि हॉस्पिटल व 2032.55 वर्गगज (1699.45 वर्गमीटर) भूमि स्कूल हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 12000/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
22.	12बी	116:22	आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाईजेशन को ग्राम नारीकाबास तहसील जयपुर के खसरा नं. 47 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा में से 12 बीघा एवं खसरा नं. 1/1 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि आवास हेतु आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की बैठक दिनांक 28.06.10 में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाईजेशन को ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर के खसरा नं. 21/166 में से 44510 वर्गमीटर भू–उपयोग परिवर्तन की प्रत्याशा में भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उक्त भूमि पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के यहां वाद लम्बित होने के कारण मौके पर कब्जा नहीं दिया जा सका। अब उपायुक्त जोन–12बी ने आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाईजेशन को ग्राम नारीकाबास तहसील जयपुर के खसरा नं. 47 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा में से 12 बीघा एवं खसरा नं. 1/1 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि आवास हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 18बी के अन्तर्गत ग्राम नारीकाबास तहसील जयपुर के खसरा नं. 47 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा में से 12 बीघा एवं खसरा नं. 1/1 रकबा 36 बीघा 12 बिस्वा में से 25 बीघा कुल 37 बीघा भूमि आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाईजेशन को आवास हेतु आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि की कीमत की गणना आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक को प्रभावी आवासीय आरक्षित दर से की जावे। उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग कराई जाकर प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके।
23.	14	116:23	निजी खातेदारी योजना कपिश विहार–ए में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 829.39 व.ग. भूमि का कम्यूनिटी सेन्टर	श्रीमती निर्मल यादव पत्नी अश्वनी कुमार यादव एवं अजय कुमार यादव पुत्र वेदप्रकाश यादव ने निजी खातेदारी योजना कपिश विहार–ए में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 829.39 व.ग. भूमि का कम्यूनिटी

			(सामुदायिक केन्द्र) प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत।	सेन्टर (सामुदायिक केन्द्र) प्रयोजनार्थ आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–14 ने आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 5500/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
24.	14	116:24	निजी खातेदारी योजना बैंक ऑफिसर्स कैम्पस में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 5036. 34 व.ग. भूमि का प्राकृतिक चिकित्सालय प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत।	विकासकर्त्ता ने निजी खातेदारी योजना बैंक ऑफिसर्स कैम्पस में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 5036. 34 व.ग. भूमि का प्राकृतिक चिकित्सालय प्रयोजनार्थ आधार ड्रीम बिल्ड स्टेट प्रा. लि. एवं डॉ. बनवारी लाल गुप्ता के संयुक्त नाम से आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–14 ने उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 4000/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
25.	13	116:25	नगर पालिका, चौंमू को आवारा पशुओं हेतु गौशाला प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने बाबत।	नगर पालिका, चौंमू को ग्राम चौंमू तहसील चौंमू के खसरा नं. 3154 रकबा 0.15 हेक्टेयर, 3155 रकबा 0.12 है0, 3156 रकबा 0.31 है0, 3157 रकबा 0.27 है0, 3158 रकबा 0.25 है0, 3159 रकबा 0.17 है0, 3160 रकबा 0.15 है0, 3161 रकबा 2.02 है0, 3166/1 रकबा 5.18 है0 में से 1.62 है0 कुल 5.06 हैक्टेयर भूमि आवारा पशुओं हेतु गौशाला प्रयोजनार्थ आरक्षित करने हेतु उपायुक्त ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगर पालिका, चौंमू को 1.00 हैक्टेयर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग कराई जाकर प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके।
26.	7	116:26	बीपीसी (एलपी) बैठक 224/15 दिनांक 19.01.15 के निर्णयानुसार गुलाबबाडी गृ.नि.स.स. की योजना महादेव नगर के भूखण्ड संख्या 8 व 9 के मध्य सडक 40' के स्थान पर 30' स्वीकृत की गई एवं उक्त भाग को भूखण्ड संख्या 8 व 9 को आवंटित किये जाने एवं भूखण्ड संख्या 8 व 9 के नियमन हेतु प्रकरण सक्षम समिति (भूमि एवं सम्पति) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा बीपीसी (एलपी) बैठक 224/15 दिनांक 19.01.15 के निर्णयानुसार गुलाबबाडी गृ.नि.स.स. की योजना महादेव नगर के भूखण्ड संख्या 8 व 9 के मध्य सडक 40' के स्थान पर 30' स्वीकृत की गई एवं उक्त भाग को भूखण्ड संख्या 8 व 9 को आवंटित किये जाने एवं भूखण्ड संख्या 8 व 9 के नियमन हेतु प्रकरण सक्षम समिति (भूमि एवं सम्पति) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। योजना गृह निर्माण सहकारी समिति की है। जिसमें सहकारी समिति द्वारा 30' चौडा रास्ता नक्शे में दर्शित किया जाकर आवेदक को आवंटन पत्र जारी किया गया था। जविप्रा द्वारा मानचित्र अनुमोदन में यह रोड 40' रखी गई। तत्पश्चात जविप्रा द्वारा रोड की चौडाई 30' कर देने से भूखण्ड संख्या 8 व 9 को अतिरिक्त भू–पट्टी आवंटन हेतु प्रकरण एलपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति से संबंधित नहीं है। अतः उपायुक्त जोन–7 अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

27.	9	116:27	श्री राजीव माथुर को सैन्ट्रल स्पाईन के भूखण्ड संख्या एसी–210 कॉर्नर में अधिक क्षेत्रफल के आवंटन करने बाबत।	श्री राजीव माथुर को अवाप्तशुदा भूमि के बदले सैन्ट्रल स्पाईन योजना में भूखण्ड संख्या एसी–210 क्षेत्रफल 585.82 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड का मौके पर 68.78 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ जाने व बढे क्षेत्रफल का पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं होने के कारण आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि सैन्ट्रल स्पाईन योजना में आवेदक द्वारा 354+100+131.82 कुल 585.82 वर्गमीटर व्यावसायिक भूमि आरक्षण पत्रों के माध्यम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की हे। उक्त भूमि के बदले सैन्ट्रल स्पाईन योजना में भूखण्ड संख्या ए/सी–210 कॉर्नर जो 654.60 वर्गमीटर का है, को आवंटन चाहता है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को मूल रूप से आवंटित भूखण्डों को ही यथावत रखा जावे।
28.	9	116:28	निलय कुंज आवासीय योजना में अवाप्त खसरा नं. 1124, 1125 ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के मुआवजे स्वरूप निलय कुंज योजना में भूखण्ड संख्या 346 क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर का आवंटन बाबत।	प्रार्थीया श्रीमती कमल किशोरी देवी को उनकी अवाप्त भूमि के बदले 40.366 वर्गमीटर भूमि/भूखण्ड दिया जाना है। उपायुक्त ने आवंटन हेतु भूखण्ड संख्या 346 क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर रिक्त होना बताकर आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। निलय कुंज योजना में अन्य कोई भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण 54 वर्गमीटर का भूखण्ड प्रस्तावित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन की स्वीकृति व योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि वसूल करने का निर्णय लिया गया।
29.	10	116:29	प्रयास इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एज्यूकेशन को प्रयास आमागढ एकीकृत विद्यालय व वोकेशनल सेंटर, जयपुर हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रयास इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एज्यूकेशन ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रयास आमागढ एकीकृत विद्यालय व वोकेशनल सेंटर, जयपुर हेतु ग्राम जामडोली के खसरा नं. 4/2 में से भूमि आवंटन करने हेतु अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–10 ने संस्था को 1000–1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। संस्था को पूर्व में वर्ष 2000 में झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 836 वर्गमीटर भूमि आवंटित है। राज्य सरकार की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के बिन्दु संख्या 5.7 के अनुसार पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन हो जाने के पश्चात कोई छूट देय नहीं होगी। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को 1000 वर्गमीटर भूमि के आवंटन एवं आवंटन दर का निर्धारण राज्य सरकार से कराने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
30.	11	116:30	जविप्रा आवासीय योजना अनुपम विहार में सृजित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड संख्या 20, 21 व 22 को श्रमिकों के अर्फोडेबल हाउसिंग के लिये आवंटन करने बाबत।	अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं सयुक्त सचिव, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण, मण्डल, राजस्थान द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना अनुपम विहार में सृजित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड संख्या 20, 21 व 22 को श्रमिकों के अर्फोडेबल हाउसिंग के लिये आवंटन करने की सहमति प्रदान की है। उपायुक्त जोन–11 ने आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जिसमें आवंटन दर 6800/– प्रति वर्गमीटर प्रस्तावित की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर अनुपम विहार के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 20, 21 व 22 कुल क्षेत्रफल 16783 वर्गमीटर भूमि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण, मण्डल राजस्थान को श्रमिकों के आवास हेतु रूपये 6800/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

31.	12	116:31	श्री अकल कुमारी धर्मपत्नि श्री महेन्द्र जैन को निजी खातेदारी ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 157, 164, 156, 166/1088, 166, 166/1097, 169/1098, 168, 167, 176, 174, 172, 170, 169 क्षेत्रफल 18324.26 वर्गमीटर में स्थित सुविधा क्षेत्र 964.43 व.मी. को रेस्टोरेन्ट हेतु आवंटन करने बाबत।	श्री अकल कुमारी धर्मपत्नि श्री महेन्द्र जैन ने निजी खातेदारी ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 157, 164, 156, 166/1088, 166, 166/1097, 169/1098, 168, 167, 176, 174, 172, 170, 169 क्षेत्रफल 18324.26 वर्गमीटर में स्थित सुविधा क्षेत्र 964.43 व.मी. को रेस्टोरेन्ट हेतु आवंटन करने हेतु निवेदन किया है। उपायुक्त जोन–12 ने उक्तानुसार एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 108वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एकल पट्टे के प्रकरण में जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर की दुगुनी दर अर्थात 5600/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
32.	12	116:32	श्री अकल कुमारी धर्मपत्नि श्री महेन्द्र जैन को निजी खातेदारी ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 194, 196/1123, 196, 190, 189, 165, 193, 192, 191, 188, 166, 167, 168, 176, 177, 194/1242, 193/1243 क्षेत्रफल 28697.89 वर्गमीटर में स्थित सुविधा क्षेत्र 1480.31 व.मी. को मनोरंजन क्लब हेतु आवंटन करने बाबत।	श्री अकल कुमारी धर्मपत्नि श्री महेन्द्र जैन ने निजी खातेदारी ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 194, 196/1123, 196, 190, 189, 165, 193, 192, 191, 188, 166, 167, 168, 176, 177, 194/1242, 193/1243 क्षेत्रफल 28697.89 वर्गमीटर में स्थित सुविधा क्षेत्र 1480.31 व.मी. को मनोरंजन क्लब हेतु आवंटन करने हेतु निवेदन किया है। उपायुक्त जोन–12 ने उक्तानुसार एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 108वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एकल पट्टे के प्रकरण में जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर की दुगुनी दर अर्थात 5600/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
33.	12बी	116:33	निजी खातेदारी योजना ओके प्लस एग्जोटिका माचवा तहसील जयपुर के जविप्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र में एण्ड यूज निर्धारण अनुसार 1918.34 व.मी. कम्यूनिटी क्लब, 1770.28 व.मी. नर्सिंग होम व 1777.84 व.मी. प्राथमिक विद्यालय का निजी विकासकर्त्ता को आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12बी ने निजी खातेदारी योजना ओके प्लस एग्जोटिका माचवा तहसील जयपुर के जविप्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र में एण्ड यूज निर्धारण अनुसार 1918.34 व.मी. कम्यूनिटी क्लब, 1770.28 व.मी. नर्सिंग होम व 1777.84 व.मी. प्राथमिक विद्यालय का निजी विकासकर्त्ता को आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 7000/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
34.	13	116:34	श्रीमती लता मित्तल को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/475 का भूखण्ड जो कि प्राधिकरण की योजना ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यालय भवन हेतु प्रस्तावित होने के कारण विनिमय में समान सडक पर समान क्षेत्रफल को 210 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्रीमती लता मित्तल को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/475 का भूखण्ड का आवंटन किया गया था। लेकिन भूखण्ड के आवंटी द्वारा आवेदन करने पर की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या ए–2/475 कार्यालय भवन का पार्ट है। अतः उपायुक्त ने भूखण्ड के आवंटी को योजना में 210 वर्गमीटर का अन्य भूखण्ड विनिमय में समान सडक व समान क्षेत्रफल के भूखण्ड दिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–2/475 के स्थान पर योजना में समान रोड चौडाई व समान माप के उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्ड में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				गया।
35.	13	116:35	श्री अमरजीत सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–1/29 सीमा से प्रभावित होने के कारण विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री लोचन सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–1/29 आवंटन किया गया था। लेकिन मौके पर सीमा पर होने व मौके पर भूखण्ड नाप अनुसार नहीं होने के कारण योजना में 40 वर्गमीटर का अन्य भूखण्ड विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी–1/29 के स्थान पर योजना में समान रोड चौडाई व समान माप के उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्ड में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
36.	13	116:36	मैसर्स महाराणा प्रताप एज्यूकेशन सेन्टर जरिये श्री शैलेन्द्र पुत्र रामसिंह भदोरिया की निजी खातेदारी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर की 4.3896 हैक्टेयर के पास जविप्रा स्वामित्व की भूमि में रास्ते हेतु भूमि दिये जाने बाबत।	मैसर्स महाराणा प्रताप एज्यूकेशन सेन्टर जरिये श्री शैलेन्द्र पुत्र रामसिंह भदोरिया की निजी खातेदारी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 465, 505, 494, 493, 492, 491, 468, 478, 479, 488, 490, 512, 513, 514, 519, 521, 522, 524, 526, 527, 528, 529, 534, 535, 478/779 कुल किता 26 कुल रकबा 4.3896 हैक्टेयर के पास जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 520 रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा नं. 525 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि किस्म चरागाह जिस पर खातेदार द्वारा सडक का निर्माण किया हुआ है तथा आवेदक भूमि में आने जाने के लिये उपयोग में आ रहे, के आवंटन हेतु निवेदन किया है। उपायुक्त जोन–13 ने उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टेयर तक) के बिन्दु संख्या 13(V) में "In case of any government land falling within the area of the scheme the ULB may (if there is no scheme of ULB for the land in question) consider allotting the same to the developer upto 10% area of the scheme at the reserve price of the area or DLC rate, whichever is higher. In case the government land exceeds 10% of the area, prior approval of State Government shall be obtained" का प्रावधान है। प्रश्नगत क्षेत्र टाउनशिप योजना के 10 प्रतिशत से कम है। अतः क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर या डी.एल.सी. दर पर, दोनों में से जो भी अधिक हो पर 0.17 हैक्टेयर भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
37.	13	116:37	आवेदक मैसर्स यशस्वी रीयल स्कवेयर प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुरेन्द्र भण्डारी द्वारा राजस्व ग्राम हरवर तहसील आमेर के खसरा नं. 895 से 900, 902 से 906 एवं 1054/895 में कुल क्षेत्रफल 22033.37 वर्गमीटर भूमि के सुविधा क्षेत्र के रूप में निःशुल्क छुडवाई गई 1067.15 वर्गमीटर भूमि का रेस्टोरेन्ट हेतु आवंटन करने बाबत।	आवेदक मैसर्स यशस्वी रीयल स्कवेयर प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुरेन्द्र भण्डारी द्वारा राजस्व ग्राम हरवर तहसील आमेर के खसरा नं. 895 से 900, 902 से 906 एवं 1054/895 में कुल क्षेत्रफल 22033.37 वर्गमीटर भूमि का रिसोर्ट्स प्रयोजनार्थ एकल पट्टे की भूमि में से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के रूप में निःशुल्क छुडवाई गई 1067.15 वर्गमीटर भूमि का रेस्टोरेन्ट हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–13 ने उक्तानुसार एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 108वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एकल पट्टे के प्रकरण में जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर की दुगुनी दर अर्थात 5600/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

38.	13	116:38	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लि0 अनन्तपुरा को अनन्तपुरा ग्रुप हाउसिंग योजना की आरक्षित भूमि 18719.00 वर्गमीटर में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लि0 अनन्तपुरा ने दुग्ध डेयरी हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन चाहा है। उपायुक्त द्वारा अनन्तपुरा ग्रुप हाउसिंग योजना की आरक्षित भूमि 18719.00 वर्गमीटर में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश प.3(603)नविवि/3/2013 दिनांक 18.03.13 व पत्रांक प.3(837)नविवि/3/2011 दिनांक 24.02.14 के परिपेक्ष्य में संस्था को भूमि आवंटन की जा सकती है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लि0, अनन्तपुरा को ग्रुप हाउसिंग योजना की आरक्षित भूमि 18719 वर्गमीटर में से 2000 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग कराई जाकर प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके।
39.	5	116:39	मैसर्स ग्रास फिल्ड क्लब प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुनील बंसल को योजना किशन नगर में भूखण्ड संख्या 108 से 113 के पीछे 821.92 वर्गगज सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	मैसर्स ग्रास फिल्ड क्लब प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुनील बंसल ने योजना किशन नगर में भूखण्ड संख्या 108 से 113 के पीछे 821.92 वर्गगज सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन चाहा है। उक्त भूमि का बी.पी.सी. (एल.पी.) की 228/12.05.15 की बैठक में क्लब हेतु एण्ड यूज निर्धारित किया जा चुका है। उपायुक्त ने उक्तानुसार एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि ग्रास फिल्ड क्लब प्रा.लि. सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में केवल सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था को ही भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
40.	1	116:40	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत जयपुर द्वारा सी–स्कीम योजना के भूखण्डधारियों को पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत जयपुर द्वारा सी–स्कीम योजना के भूखण्डधारियों को पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु उच्च जलाशय निर्माण 900 वर्गमीटर भूमि का आवंटन चाहा गया है। उपायुक्त ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि सी–स्कीम योजना में जमनालाल बजाज मार्ग एवं भूखण्ड संख्या जे–21, जे–22, जे–23, जे–24 के पीछे स्थित नाले के साथ लगती हुई उपलब्ध 300 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सहमति व्यक्त करने के कारण उक्त 300 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि नाले के सहारे 30' चौडाई की सड़क नियमानुसार रखी जायेगी। जिसका निर्माण एवं संधारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जावेगा।
41.	13	116:41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम–दूदावाला तहसील बस्सी के खसरा नं. 57 रकबा 12 बीघा किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्व ग्राम–दूदावाला तहसील बस्सी के खसरा नं. 57 रकबा 12 बीघा किस्म चरागाह में से 900 वर्गमीटर भूमि बीसलपुर परियोजना के तहत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–13ए ने उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम दूदावाला तहसील बस्सी के खसरा नं. 57 में से 900 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय

उपायुक्त (पूर्व) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				लिया गया। उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग कराई जाकर प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके।

बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

42.	10	116:41(1)	जयपुर सिटी ट्रासंपोर्ट सर्विसेज लि0, जयपुर को डिपो व वर्कशॉप हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रबन्धक निदेशक, जयपुर सिटी ट्रासंपोर्ट सर्विसेज लि0, जयपुर द्वारा आगार, कार्यालय व वर्कशॉप हेतु टोकन मनी पर भूमि आवंटन चाहा है। बैठक के दौरान उपायुक्त जोन–10 ने बताया कि ग्राम पालेडा के खसरा नं. 143 की कुल 86 बीघा 4 बिस्वा में से लगभग 80 बीघा भूमि मौके पर रिक्त पडी हुई है। उक्त भूमि जमवारामगढ रोड से लांगडियावास होते हुये नटाटा जाने वाली सडक से ग्राम पालेडा को जाने वाली लिंक रोड पर स्थित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर लिंक रोड के साथ लगती हुई उपलब्ध भूमि में से 15 बीघा भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। दर में जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा चाही गई रियायत राज्य सरकार के स्तर पर ही दी जा सकती है। अतः प्रकरण दर बाबत राज्य सरकार को अग्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग कराई जाकर प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके।
43.	5 व 10	116:41(2)	ग्राम सुदर्शनपुरा में अवाप्त 4196.80 वर्गमीटर भूमि के बदले सुमेल योजना में जयपुर डिस्कॉम को आवंटित भूमि का समायोजन कराने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा हवा सडक को न्यू सांगानेर रोड से मिलाने हेतु ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील जयपुर में स्थित जयपुर डिस्कॉम की 4196.80 वर्गमीटर अवाप्त भूमि के बदले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को सुमेल योजना में 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन हेतु आवंटित 4284 वर्गमीटर भूमि के समायोजन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम सुदर्शनपुरा की अवाप्तशुदा 4196.80 वर्गमीटर भूमि को सुमेल योजना में सब स्टेशन हेतु अवांटित 4284 वर्गमीटर भूमि से समायोजित करने का निर्णय लिया गया।
44.	14	116:41(3)	जविप्रा की बक्सावाला योजना में निर्मित बॉम्बे क्वार्टर संख्या जी–69 एवं एफ–69 को आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–6 ने आवेदक मोहम्मद आलम एवं शकूरन को भारत नगर कच्ची बस्ती, इंदिरा कुष्ट आश्रम, झोटवाडा से हटाया जाकर सर्वे पर्ची जारी की है। उपायुक्त जोन–14 में बक्सावाला योजना में पुनर्वास कर दिया था। थानाधिकारी से भारतीय नागरिकता की पुष्टि होने की जानकारी प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने श्री मोहम्मद आलम को आवास संख्या जी–69 एवं श्रीमती शकूरन पत्नी अब्दुल सत्तार को एफ–69 बक्सावाला बॉम्बे क्वार्टर आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुनर्वास हेतु नियमानुसार राशि ली जाकर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एव समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 116वीं बैठक दिनांक 25.05.15 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री बृजेश कुमार शर्मा, विशेषाधिकारी (आर एम)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री चैन सिंह राठौड़, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
8.	श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–5, 10 व 10ए	विशेष आमंत्रित
9.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
10.	श्री भागीरथ हाव., उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12बी	विशेष आमंत्रित
13.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
14.	श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
15.	श्री तेजाराम चौधरी, उपायुक्त जोन–14ए	विशेष आमंत्रित
16.	श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन–15	विशेष आमंत्रित
17.	श्री प्रभात गौस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित